५।५।२१ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 05 / 2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022 / 00014
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 04.04.2024

1. बच्चू पुत्र घुर्रू उर्फ कमल जाति जाट निवासी हौंता तहसील नदवई (भरतपुर)

प्रार्थी

बनाम

1. फत्ते पुत्र गिर्राज जाति जाट निवासी हौंता तहसील नदबई (भरतपुर)
2. शेरसिंह पुत्र गिर्राज जाति जाट निवासी हौंता तहसील नदबई (भरतपुर)
3. रामखिलाडी पुत्र गिर्राज जाति जाट निवासी हौंता तहसील नदबई (भरतपुर)
4. अनिल पुत्र रमेश जाति जाट निवासी हौंता तहसील नदबई (भरतपुर)
5. कृपाली वेवा रमेश जाति जाट निवासी हौंता तहसील नदबई (भरतपुर)
6. सुदामा पुत्र रमेश जाति जाट निवासी हौंता तहसील नदबई (भरतपुर)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री अशोक कुमार एड.(प्रार्थी की ओर से)
श्री रामकिशन पूनियां एड.(अप्रार्थी की ओर से)

निर्णय प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

5/5/24

1. यह है कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह है कि विवादित आराजी खसरा सं. 443 रकवा 0.08, वाके ग्राम हौंता तहसील नदबई में स्थित है।
3. यह कि विवादित आराजी वर्णित मद सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी सायल/वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है। जो मनवट के हिसाब से उक्त आराजी सायल के हिस्से मे आया है। जिस पर सायल शान्तिपूर्ण तरीके से काबिज होकर काश्त करता हुआ चला आ रहा है।
4. यह कि विवादित आराजी खसरा न. 443 के बिल्कुल चिपटमा गैरसायलान का खातेदारी काश्तकारी आराजी खसरा न. 444 से लगा हुआ है। उक्त खसरा न. की आड में गैरसायलान ने सायल की खातेदारी काश्तकारी की आराजी में जबर्दस्ती डीपबोर लगा दिया है तथा डीपबोर लगाकर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया है और डीपबोर के चारों तरफ कब्जा करने की फिराक में पुख्ता वाउन्ड्रीवॉल करना शुरू कर दिया है जबकि गैरसायलान को सायल की खातेदारी काश्तकारी की आराजी में पुख्ता निर्माण कर कब्जा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः सायलान गैरसायलान को अपनी विवादित आराजी से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
5. यह कि गैरसायलान सं. 1 लगायत 6 ने सायल को दिनाक 27.12.2021 को एलानियां धमकी दी है कि वह विवादित आराजी में डीपबोर लगा

4/4/24

लिया है तथा विद्युत कनेक्शन ले लिया है। अब हम उक्त बोर पर पुख्ता कोठरी का निर्माण करके रहेंगे व तुझे बेदखल करके रहेंगे जबकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि गैरसायलान सं. 1 लगायत 6 अपनी उपरोक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो सायल को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगी। अतः सायल गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं कि वह विवादित आराजी में मदाखलत मजामहत नहीं करे कब्जाकाश्त से बेदखल नहीं करें व नींव आदि खोदकर पुख्ता निर्माण नहीं करें, जिससे सायल के अधिकारों पर कोई जबाल आवे।

6. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ताफैसला स्थगन आदेश से इस कदर पाबंद किया जावे कि आराजी खसरा न. 443 रकवा 0.08 वाके ग्राम हौंता तहसील नदबई में स्थित है। उक्त आराजी में नींव आदि खोदकर पुख्ता निर्माण नहीं करें, जिससे सायल के अधिकारों पर कोई जबाल आवे।

7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को ज़रिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी की तरफ से श्री रामकिशन पूनियां एडवोकेट उपस्थित हुये, जिनके द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

   1. यह कि मद सं. 1 आंशिक स्वीकार है।
   2. यह कि मद सं. 2 आंशिक स्वीकार है।
   3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 03 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। क्योंकि उक्त खसरा न. का विधिक बटवारा नहीं हुआ है।

4/4/24

4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 स्वीकार नहीं है क्योंकि संवत 2060 में खसरा न. 443 व 444 वाके ग्राम हौंता की नक्शा तरमीम प्रतिवादी सं. 7 द्वारा गलत तरमीम कर दी मौके पर कब्जा पक्षकारों का सही है, परन्तु नक्शा तरमीम में खसरा न. 443 की सीमा को ख. न. 444 की ओर बढा दिया है जो गलत किया है जिसका अप्रार्थीगैरसायल सं. 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय नदबई को पेश किया जिसको स्वीकार कर यह आदेश दिया कि खसरा न. 444 का नक्शा पूर्व के नक्शा के अनुसार दुरूस्त किया जावे तथा अप्रार्थी गैरसायल के रकवा इन्टेक्ट नक्शे में रखते हुये ही दुरूस्त किया जावे, वाके ग्राम हौंता तहसील नदबई से संबंधित खसरा न. 443 व 444 का रकवा को यथावत रखते हुये नक्शा में भू प्रबंध से पूर्व के नक्शा के अनुसार दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है, इस प्रकार अप्रार्थीगण गैरसायलान ने वादी के रकवे में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

5. यह कि मद सं. 05 स्वीकार नहीं है, गैरसायलान की कोठरी खसरा न. 444 में करीबन 20 साल पहले बनी हुई है व नींव निर्माण नहीं है क्योंकि खसरा न. 444 का रकवा राजस्व रिकॉर्ड में 0.16 है. है व वर्तमान में रकवा 0.16 हे. ही है लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने खसरा न. 443 की नक्शा तरमीम गलत होने से सायल का रकवा बढा दिया है जो गलत था जिसको दिनांक 05. 12.2014 उपखण्ड अधिकारी महोदय नदबई द्वारा प्रार्थना पत्र 136

५/५/२५

एलआर एक्ट स्वीकार कर दुरूस्त करने के आदेश दिये। दिनांक 27.12.2021 को या अन्य किसी तिथी को गेरसायलान ने सायल को कोई धमकी नहीं दी है।

6. यह कि प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन गैरसालान के हक में वखूबी साबित है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

7. यह कि संवत 2060 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा न. 443/0.08 व 444/0.16 की नक्शा तरमीम गलत कर दी थी स. 2060 से पहले खसरा न. 444 का साविक खसरा न. 323/703 व 323/702 से है व खसरा न. 443 की पूर्वी मेंढ को बढाते हुये खसरा न. 444 की तरफ रेखाकिंत कर दिया जिससे खसरा न. 443 का रकवा व क्षेत्रफल बढ गया जिसको सायल अपना क्षेत्रफल बताता है। वह संवत 2060 से पहले के नक्शा तरमीम के अनुसार गैरसायलान का रकवा है। जिसमें सायल ने नाजायज फायदा उठाकर बिना कनवर्जन के व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये गैरसायलान के रकवा की तरफ पक्की दीवार कर ली है। जिसको जुडवाया जाना न्याय हित में आवश्यक है। व सायल ने अपने दावा में प्रतिवादी द्वारा कितना क्षेत्रफल बढाकर अतिक्रमण किया है ऐसा कोई सबूत के रूप में पेश नहीं किया है।

5/5/24

8. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2076–2079 वाके ग्राम हौंता, नकल नक्शा खसरा न. 443 व 444 वाके ग्राम हौंता, पेश की गई।

9. अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये।

10. प्रार्थीगण के विद्वान वकील की प्रार्थना पत्र 212 आरटीए बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया। प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस के दौरान कहा कि मेरे द्वारा वादपत्र अंतर्गत धारा 183 व 188 आरटीए के तहत पेश किया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए की मद सं. 2 वर्णित आराजी वाके ग्राम होता तहसील नदबई पर स्थित है, जिसमें 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार हूँ। विवादित आराजी ख.न. 443 के बिल्कुल चिपटेमा ख.न. 444 जो कि गैर सायलान का रकवा है। अप्रार्थी ने ख.न. 444/0.16 की आड़ में ख.न. 443/0.08 में डीप बोर लगी थी। उस पर कब्जा कर लिया है तथा उस बोर के पास काठरी का निर्माण करना चाहते है। विवादित आराजी के सीमाओ का निर्धारन अभी नही हुआ है। वाद पत्र में तनकीयात कायम की जाकर तथा साक्ष्य से स्पष्ट होगा कि किसका कब्जा काश्त है। जब तक विवादित आराजी की यथास्थिति बनाऐ रखना आवश्यक है ताकि बैजात तौर पर मुकदमें ना बढे ना ही झगढे कि संभावना हों। एवं नक्शो में तरमीम भी हो

5/5/24

गयी हो तो स्थगन हटाने से झगढा होगा। अत स्थगन के तीनो बिन्दू मेरे पक्ष में है अत स्थगन जारी रखा जावें।

11. अप्रार्थी के विद्वान वकील द्वारा दौरान बहस कहा कि उक्त विवादित आराजी के संवत 2060 में नक्शा गलत हो गया था उसकी आड़ में ख.न. 443 की सीमा 2060 में मेरी सीमा में बढा दिया गया है। तथा मेरे संज्ञाान में आते ही धारा 136 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया । तहसीलदार नदबई से रिपोर्ट मंगवाई गयी। जिसमें ख.न. 444 की मेंड़ ख.न. 443 में बढा दिया गया। मेरे संज्ञान में आते ही प्रार्थना पत्र 136 पेश किया गया जिलामें तहसीलदार की रिपोर्ट भी आई जिसमें ख.न. 444 की मेड़ ख.न. 443 की ओर बढ गया है। उसको शुद्ध किया जाना उचित है बोर मेरे खेत मे लगा हुआ है। मे ख.न. 444 का खातेदार हूँ ये केवल रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाकर मेरे विरूद्ध स्थगन एक तरफा ले रखा है। मेरे नक्शा तरमीम को सही करवाने को रूकवाने हेतु स्थगन लिया है। अत जारी शुदा स्थगन खारिज किया जावें।

12. हमने प्रार्थी के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तो पाया कि :—

1. **पृथमदृष्टया केस**— प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188,183 आरटीए के तहत पेश किया गया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत पेश किया गया। विवादित आराजी खसरा सं. 443 रकवा 0.08, वाके ग्राम हौंता तहसील

५/५/२५

नदबई में स्थित है। विवादित आराजी खसरा न. 443 के बिल्कुल चिपटेमा गैरसायलान का खातेदारी काश्तकारी आराजी खसरा न. 444 से लगा हुआ है। मुख्य रूप से वाद में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खसरा नंबर 443 के बिल्कुल चिपटैमा अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 444 लगा हुआ है जिसमें प्रार्थी के खसरा नंबर अप्रार्थी जबरदस्ती डीपबोर लगाकर कब्जा कर बाउण्ड्री करने के फिराक में कोटरी का निर्माण करने बाबत् बताया गया है। चूंकि वादपत्र कब्जेकाश्त को लेकर विवाद है उक्त दोनों खसरों की सीमाएं किस खसरा नंबर में किसकी ओर बढी हुई है यह अभी वादपत्र में तय होना है तथा वादपत्र में सीमाओं का भी निर्धारण अभी नहीं हुआ है अतः वादपत्र में विवादित भूमि के संबंध में पत्रावली में तनकीयात कायम करने के पश्चात् उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेकर वाद का निस्तारण मेरिट पर किया जाना उचित प्रतीत होता है। तब तक वाद की बहुल्यता को रोकने एवं मौके पर विवाद उत्पन्न होने से रोकने हेतु न्यायालय द्वारा जारीशुदा स्थगन आदेश बनाए रखना आवश्यक है। अतः प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2.सुविधा का सतुलन – मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के हक में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक में साबित है।

3.अपूर्ण क्षति – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया जाता है तो विवादित आराजी का खुर्दबुर्द रहने का अन्देशा रहेगा तथा वाद कि विषय वस्तु में परिवर्तन तो जो एक अपूर्णीय क्षति होगी।

५/५/२५

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी प्रार्थीगण के हक में बखूबी सावित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 11.01.2022 ताफैसला इस आशय के कन्फर्मन किया जाता है कि विवादित आराजी की रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाऐ रखे।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2024 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

4/4/24

(गंगाधर मीणा R.A.S.)

सहायक कलक्टर नदबई

सहायक कलक्टर

नदबई जिला भरतपुर